प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के रेल मंत्रालय की लेखापरीक्षा के परिणाम निम्नलिखित विषयों पर शामिल किए गए हैं

1. भारतीय रेल में लोकोमोटिव का निर्धारण, खरीद और उपयोगिता; एवं
2. भारतीय रेल में एलएचबी कोचों का उत्पादन और रख-रखाव

इस प्रतिवेदन में वे मामले हैं जो अप्रैल 2012 से मार्च 2018 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही वे मामले, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां भी आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।